



न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम-11, जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी : डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार, आर.जे.एस.

दाण्डिक परिवाद संख्या : 39/2026
सीआईएस संख्या : 39/2026

नगर निगम जयपुर।

.....परिवादी

बनाम

किशन पुत्र लालाराम, पता मैसर्स बालाजी फर्नीचर्स, जगतपुरा फाटक के पास,
जगतपुरा, जयपुर।

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 245(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009

उपस्थिति :-

1. श्री पिंटू पारीक, विद्वान पैरोकार जयपुर नगर निगम की ओर से।
2. श्री जीपी शर्मा, श्री लक्ष्मण शर्मा, विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त की ओर से।

— निर्णय —

दिनांक : 11.05.2026

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी उपायुक्त स्वास्थ्य नगर निगम, जयपुर द्वारा अभियुक्त किशन के विरुद्ध परिवाद इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि दिनांक 25.11.2025 को अभियुक्त द्वारा मौका स्थान मैसर्स बालाजी फर्नीचर्स, जगतपुरा फाटक के पास, जगतपुरा, जयपुर पर सरकारी सड़क व फुटपाथ पर लगभग 4 बाई 6 फीट में पलंग, चारपाई, के ऊपर गद्दे, आलमारी, टेबल, कुर्सी, रखकर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आवागमन व सफाई कार्य में बाधा उत्पन्न होती है.....इत्यादि।

2. उक्त परिवाद प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 245(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 245(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. दौराने अन्वीक्षा परिवादी नगर निगम की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.डब्ल्यू 1 जितेन्द्र बैरवा के बयान लेखबद्ध किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निरीक्षण टिप्पणी प्रदर्श पी 1, चालान स्वीकृति प्रदर्श पी 2 व परिवाद प्रदर्श पी 3 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित



करवाया गया।

4. अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत किया गया, जिस पर अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आयी साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।
5. न्यायालय के समक्ष प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या "दिनांक 25.11.2025 को अभियुक्त द्वारा मौका स्थान मैसर्स बालाजी फर्नीचर्स, जगतपुरा फाटक के पास, जगतपुरा, जयपुर पर सरकारी सड़क व फुटपाथ पर लगभग 4 बाई 6 फीट में पलंग, चारपाई, के ऊपर गद्दे, आलमारी, टेबल, कुर्सी, रखकर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आवागमन व सफाई कार्य में बाधा उत्पन्न होती है?"
6. यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड के लिए दायित्वाधीन होगा?
7. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह की साक्ष्य से अभियोजन कहानी प्रमाणित नहीं है। उक्त कथन करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होना कथित अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।
8. उक्त तर्कों का विद्वान पैरोकार नगर निगम ने विरोध कर कथन किया कि अभियुक्त द्वारा उक्त फर्दात निरीक्षण टिप्पणी प्रदर्श पी 1, चालान स्वीकृति प्रदर्श पी 2 व परिवाद प्रदर्श पी 3 स्वीकार कर ली गयी है तथा अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होना कथित कर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।
9. बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
10. प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 25.11.2025 को स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा सरकारी सड़क व फुटपाथ पर लगभग 4 बाई 6 फीट में पलंग, चारपाई, के ऊपर गद्दे, आलमारी, टेबल, कुर्सी, रखकर अस्थायी अतिक्रमण कर बाधा उत्पन्न होना पाये जाने पर इस तथ्य की निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 तैयार की गयी, जिसके क्रम में कार्यवाही की जाकर अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है।
11. उक्त प्रदर्श पी 1 निरीक्षण टिप्पणी के क्रम में परीक्षित महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू 1 जितेन्द्र बैरवा ने आपके विरुद्ध साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.11.2025 को वह जयपुर नगर निगम के चालान प्रकोष्ठ मुख्यालय में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर पदस्थापित



था। उक्त दिवस को वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी गोकलेन्द्र व सतपाल के साथ मौका स्थान मैसर्स बालाजी फर्नीचर्स, जगतपुरा, फाटक के पास, जगतपुरा, जयपुर के दौरे पर गया था। मौका स्थान पर मुलजिम ने सरकारी सड़क व फुटपाथ पर लगभग 4 बाई 6 फीट में पलंग, चारपाई के ऊपर गद्दे, आलमारी, टेबल, कुर्सी, रखकर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, जिससे आवागमन व साफ सफाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मौके पर मिले व्यक्ति ने स्वयं का नाम किशन होना बताया था, जिसके आधार पर उसने निरीक्षण टिप्पणी प्रदर्श पी 1 जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं, तैयार की थी। तत्पश्चात चालान स्वीकृति के लिए उसने प्रदर्श पी 2 तैयार किया था। तत्पश्चात उपायुक्त के द्वारा अभियोजन वास्ते परिवाद प्रदर्श पी 3 न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिरह शून्य रही।

12. इस प्रकार उक्त गवाह ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत फर्द प्रदर्श पी 1 निरीक्षण टिप्पणी उसके द्वारा तैयार करवाया जाना तथा उस पर उसके हस्ताक्षर होना कथित कर उक्त फर्द को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने अभियोजन कहानी की सम्पुष्टि की है। गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों के संदर्भ में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह से कोई जिरह नहीं की गयी है। इस प्रकार परीक्षित गवाह की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। अतः गवाह की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

13. संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। धारा 245(2) व 245(15) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 का उद्धरण लिया जाना आवश्यक है, जो निम्न है :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 245(2) :- “जो कोई भी नगर पालिका की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान नगर पालिका का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय अस्थायी बाधा उत्पन्न करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक माह तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।”

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 245(15) :- “जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यह साबित करने का भार, कि वह अपराध उसने नहीं किया है, उसी व्यक्ति पर होगा।”

14. प्रकरण में अभियोजन पक्ष के साक्षी ने अपनी साक्ष्य से अभियोजन कहानी की



सम्पुष्टि की है तथा उक्त गवाह से अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किये जाने से गवाह की साक्ष्य अखण्डनीय रही है। अभियुक्त पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य एवं तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.11.2025 को कथित मौका स्थल पर अस्थायी अतिक्रमण कर सफाई कार्य व आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं की जा रही हो। प्रकरण में अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू 1 जितेन्द्र बैरवा परीक्षित हुआ है। प्रकरण में अभियुक्त पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे उक्त गवाह की अभियुक्त के साथ कोई रंजिश होने के तथ्य प्रकट होते हों। प्रकरण में अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है।

15. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है कि दिनांक 25.11.2025 को अभियुक्त द्वारा सरकारी सड़क व फुटपाथ पर लगभग 4 बाई 6 फीट में पलंग, चारपाई के ऊपर गद्दे, आलमारी, टेबल, कुर्सी, रखकर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे सफाई कार्य व आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

16. अतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 245(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अभियुक्त धारा 245(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

— आदेश —

17. अतः अभियुक्त किशन पुत्र लालाराम, पता मैसर्स बालाजी फर्नीचर्स, जगतपुरा फाटक के पास, जगतपुरा, जयपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 245(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क्रम-11, जयपुर महानगर प्रथम

18. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त का व्यवसायी पेशा व्यक्ति होना कथित कर अभियुक्त के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाये जाने का निवेदन किया, जिसका नगर निगम ने विरोध किया।

19. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान में अस्थायी अतिक्रमण व आवागमन में बाधा उत्पन्न करने के अपराधों की संख्या में निरंतर



वृद्धि हो रही है तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अभियुक्त को धारा 245(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अभियुक्त गरीब व बुजुर्ग है। अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर अभियुक्त को निम्नानुसार अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित है।

दण्डादेश

20. अतः अभियुक्त किशन पुत्र लालाराम, पता मैसर्स बालाजी फर्नीचर्स, जगतपुरा फाटक के पास, जगतपुरा, जयपुर को धारा 245(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत 3,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 1 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। निर्णय की प्रतिलिपि अभियुक्त को निःशुल्क प्रदत्त की जावे। अभियुक्त द्वारा उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क्रम-11, जयपुर महानगर प्रथम

21. निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. चंद्रप्रकाश पाटीदार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क्रम-11, जयपुर महानगर प्रथम